बिहार विधान परिषद

205वांं शीतकालीन सत्र

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

9 नवंबर 2023

: **[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].**

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 9

स्लूइस गेट का निर्माण कबतक

26. **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड के पोसुआ पटनियां गांव स्थित लक्ष्मणा लखनदेई नदी स्थित बांध पर स्लूइस गेट नहीं रहने क कारण हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बांध पर स्लूइस गेट निर्माण कराने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वर्णित स्थान पर कार्यरत

27. **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक:-

17.03.2010 विकास मित्र चयनः मेघा सूची प्रपत्र-2, प्रखंड- घोसवरी के क्रमांक- 5 पर क्रमांकित निरंजन रजक, पिता- स्व. बिजली रजक, जन्म तिथि- 31.03.1977, अंक- 59.02% दर्ज है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि निरंजन रजक वर्णित स्थान पर कार्यरत हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

लाभ देने का विचार कबतक

28. **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा संपादित कार्यों के दृष्टिकोण से मानदेय काफी कम है एवं अनुकंपा लाभ से भी वंचित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि व अनुकंपा का लाभ देने पर विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जोड़ने का विचार कबतक

29. **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिले में फल्गु नदी पर उदेरा स्थान बैराज से गया-जहानाबाद-नलांदा जिला के कुल 41890 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है;

(ख) क्या यह सही है कि उदेरा स्थान बैराज से नई बाजार-इस्लामपुर (मोहन चक)-बड़ी पैठाना-निरचलगंज नहर को जोड़ने से गया, जहानाबाद एवं नालंदा जिले के हजारों किसानों की खेतों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाना चाहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उदेरा स्थान बैराज से नई बाजार-इस्लामपुर (मोहन चक) बड़ी पैठाना निरचलगंज नहर को जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पर्याप्त मात्रा में नीम का पौधा लगाने का विचार कबतक

30. **श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर सहित पूरे राज्य एवं विभिन्न पार्कों में अपेक्षाकृत नीम का पौधा कम है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार पटना शहर एवं इसके विभिन्न पार्कों में पर्याप्त मात्रा में नीम के पौधे लगाकर पटना शहर के पर्यावरण को कुछ हद तक शुद्ध कर सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य सहित पटना नगर क्षेत्र एवं पार्कों में पर्याप्त मात्रा में अभियान चलाकर नीम का पौधा लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

थाना प्रभारी बनाने का विचार कबतक

31. **श्री जनक राम (मनोनीत):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अनुसूचित जाति के ASI को अधिकतर उसे लाइन (सेटिंग) में रखा जाता है या कही कोई ओ.पी. का प्रभारी बना दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति समाज के ASI को थाना प्रभार देने में भी अनदेखा किया जाता है और आज भी गोपालगंज सहित अन्य जिले में अधिकतर ASI पुलिस लाइन (सेटिंग) में हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी जिलों में अनुसूचित जाति के ASI को समान रूप से अन्य ASI की तरह थाना का प्रभारी बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

खुदाई एवं उड़ाही का विचार कबतक

32. **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अंतर्गत प्रखंड नीमचक बथानी की पंचायत खुखरी और तेलारी के ग्राम कटारी आहर से ग्राम दिआय होते हुए ग्राम चंदाचक पईन मिट्टी से भर गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि पईन में वर्षा का पानी नहीं आता, जिस कारण कृषि के लिए

हजारों भूमि को पानी नहीं मिल पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पईन की खुदाई एवं उड़ाही का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कबतक

33. श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर थाना में कांड सं.- 47/2014 धारा 4 विस्फोटक अधिनियम के तहत नामजद कायम हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग नौ वर्ष में अनुसंधान कार्य कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि कांड के अनुसंधानकर्ता और पुलिस अधीक्षक, मुंगेर अपराधी को बचाना चाहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कांड सं.- 47/2014 के दोषी पर आरोप पत्र समर्पित करते हुए स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने एवं अनुसंधानकर्ता और अपराधी को बचाने वाले पुलिस अधीक्षक पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नलकूप चालू कबतक

34. मो. फारूक (विधान सभा):

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले में विभिन्न योजनाओं के लगभग 16 (सोलह) नलकूप वर्षों से बंद होने के कारण किसानों की खेती प्रभावित हो रही है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बंद नलकूपों को चालू कराने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?